नियम 42 : अपीलार्थी के व्यक्तिक्रम के लिए अपील कर कार्रवाई

जहां अपील की सुनवाई के नियत दिन पर, या किसी अन्य दिन, जिस तक सुनवाई स्थगित की जाए, अपीलार्थी उस समय उपस्थित नहीं होता है, जब अपील की सुनवाई के लिए पुकारा जाता है, तो अपील अधिकरण, अपने विवेकानुसार, या तो व्यक्तिक्रम के लिए अपील को खारिज कर सकेगा या गुण–दोष के आधार पर उसकी सुनवाई और विनिश्चय कर सकेगा :

परंतु जहां अपील व्यक्तिक्रम के लिए खारिज कर दी गई हो और अपीलार्थी बाद में उपस्थित होता है और अपील अधिकरण का समाधान कर देता है कि जब अपील की सुनवाई के लिए पुकारा गया था, तब उसकी अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण था, तो अपील अधिकरण खारिज किए जाने को अपास्त करने का आदेश देगा और अपील को पुनः बहाल करेगा।